राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

क़दमा नम्बर– 14/2023

1. रूपेश पुत्री श्योताज पत्नी महिपाल सिंह उम्र 45 वर्ष
2. अनिता पुत्री श्योताज पत्नी शक्ति सिंह उम्र 42 वर्ष
   1 लगा. 2 जाति अहीर (यादव) निवासीगण ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद ग्राम श्योपुरा पोस्ट चूड़ीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. सावित्री देवी पत्नी श्योताज उम्र ...... वर्ष जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीयागण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: **दिनांक :–31–01–2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम डा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 हाल खाता संख्या नया 566 में दर्ज हाल खसरा नंबर 2425/422 रकबा 0.3260 है. मे में प्रार्थीया सं. 3 का पुत्र राजेन्द्र उर्फ मुनीम 1/5 हिस्सा का तथा प्रार्थीया सं. 1 व 2 येक 1/5, 1/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में तेदार मुनीम पुत्र श्योताज का देहान्त दिनांक 27.11.2012 को हो चुका है जिसके जस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम को सही करवाने के लिए प्रार्थना पत्र उसकी माता र्थीया सं. 3 की तरफ से पेश किया गया है। विरासतन का नामांतरकरण दर्ज करते मय राजस्व कर्मचारियों की गलती से भूलवश सहवन से या टंकणीय त्रुटि के कारण र्थीया सं. 1 स्वयं का नाम 'अनिता पुत्री श्योताज' के स्थान पर 'नीलम पुत्री श्योताज' र्ज हो गया जबकि प्रार्थीया सं. 1 का वास्तविक सही नाम 'अनिता पुत्री श्योताज' है जो र्थीया सं. 1 के समस्त दस्तावेज व अन्य रिकार्ड में भी दर्ज है तथा प्रार्थीया सं. 2 स्वयं नाम 'रूपेश पुत्री श्योताज' के स्थान पर 'मनफूल पुत्री श्योताज' दर्ज हो गया जबकि र्थीया सं. 2 का वास्तविक सही नाम 'रूपेश पुत्री श्योताज' है जो प्रार्थीया सं. 2 के मस्त दस्तावेज व अन्य रिकार्ड में भी दर्ज है तथा प्रार्थीया सं. 3 के पुत्र का नाम 'राजेन्द्र दव पुत्र श्योताज' के स्थान पर 'मुनीम पुत्र श्योताज' दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया सं. 3 पुत्र का वास्तविक सही नाम 'राजेन्द्र यादव पुत्र श्योताज' है जो प्रार्थीया सं. 3 के पुत्र समस्त दस्तावेज व अन्य रिकार्ड में भी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में विरासतन का मांतरकरण दर्ज करते समय प्रार्थीया सं. 1 व 2 स्वयं का तथा प्रार्थीया सं. 3 के पुत्र का म गलत दर्ज होने से प्रार्थीयागण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए र्थीयागण को नाम दुरूस्ती बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के खण्ड सं. 1 में र्णित वाके ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 73 लगायत 2076 के हाल खाता संख्या नया 566 में दर्ज हाल खसरा नंबर 2425/422 कबा 0.3260 है. भूमि में प्रार्थीया सं. 1 के गलत दर्ज नाम 'नीलम पुत्री श्योताज' के स्थान र प्रार्थीया सं. 1 का सही नाम 'अनिता पुत्री श्योताज' तथा प्रार्थीया सं. 2 के गलत दर्ज म 'मनफूल पुत्री श्योताज' के स्थान पर प्रार्थीया सं. 2 का सही नाम 'रूपेश पुत्री ोताज' तथा प्रार्थीया सं. 3 के पुत्र के गलत दर्ज नाम 'मुनीम पुत्री श्योताज' के स्थान पर र्थीया सं. 3 के पुत्र का सही नाम 'राजेन्द्र यादव पुत्र श्योताज' दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुयस्त कर अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जारी की ई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर नायब तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र दिनांक .01.2023 से पटवारी, पटवार मण्डल डाडाफतेहपुरा की बिन्दुवार मूल रिपोर्ट भिजवाई है ो बाद शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीयागण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में रपंच, ग्राम पंचायत डाडाफतेहपुरा का पत्र नाम शुद्धिकरण के लिए दिनांक 27.01.2023, माण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी भालोठ, मृत्यु प्रमाण पत्र राजेन्द्र यादव, फोटो प्रति ाधार कार्ड अनीता का पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीयागण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय स्तावेजात एवं पटवारी हल्का डाडाफतेहपुरा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। त्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया ाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान में दर्ज प्रविष्ठियों को नेम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये ाते हैं :–

.सं.	राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
	डाडाफतेहपुरा (संवत् 2073–2076)	566	नीलम पुत्री श्योताज मनफूल पुत्री श्योताज मुनीम पुत्र श्योताज	अनिता पुत्री श्योताज रूपेश पुत्री श्योताज राजेन्द्र यादव पुत्र श्योताज

उपरोक्त राजस्व ग्राम की जमाबन्दी में शुद्ध की गई प्रविष्टियों के अलावा पूर्व से र्ज प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner